संख्या- 9/2023/बी-2-293 /दस-2023

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2023

विषय:- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह मार्च, 2023 हेतु सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अंतर्गत अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों हेतु सामान्य समनुदेशन की व्यवस्थित धनराशि रूपये 10800.00 करोड़ में से माह अप्रैल 2022 के लिये शासनादेश संख्या-8/2022/बी-2-138/001-10-1400-002-1-2021, दिनांक 28.04.2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-11/2022/बी-2-148/001-10-140000212021 दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-13/2022/बी-2-171/001-1014002-002-1-2021 दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-15/2022/बी-2-194/003-10-14002-002-1-2021 दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-18/2022/बी-2-209/001-1014002-002-1-2021 दिनांक 18 अगस्त, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-22/2022/बी-2-232/002-10-14002-002-1-2021 दिनांक 20 सितम्बर, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-25/2022/बी-2-260/008-10-14002-002-1-2021 दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-29/2022/बी-2-288/008-10-14002 002 1 2021 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-33/2022/बी-2-358/004-10-14002(002)/1/2021 दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़, शासनादेश संख्या-3/2023/बी-2-44/010-10-14002(002)/1/2021 दिनांक 25 जनवरी, 2023 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-5/2023/बी-2-139/2023/003-101400200212021 दिनांक 20 फरवरी, 2023 द्वारा धनराशि रूपये 900.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि श्री राज्यपाल, माह मार्च, 2023 हेतु नागर स्थानीय निकायों के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु धनराशि रूपये 900.00 करोड स्वीकृत कर उसे निम्नलिखित शर्तों के आधीन निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का नगर निगमों, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।

(2) आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि किसी निकाय की समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो संबंधित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि संबंधित निकाय को आवंटित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे

(5) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी।

(6) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि में वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग के शासनादेश संख्या-274/10/12/2023-वित्त अनुभाग-31 दिनांक 24 मार्च, 2023 में निम्नवत दी गयी दी गयी व्यवस्था का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा :-

(i) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय / ग्रामीण) को लम्बित बकाया धनराशि रू0 441.73 करोड़ का भुगतान पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में पंचम राज्य वित्त आयोग की समनुदेशन की धनराशि से किया जायेगा जिससे प्रथमतः अवमानना याचिका संख्या-1998 ऑफ 2021 (सिविल) में मा0 उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जल निगम के कार्यरत / सेवानिवृत कार्मिकों को छठे वेतन आयोग के एरियर के मूलधन का भुगतान किया जायेगा।

(ii) कुल लम्बित बकाया धनराशि रू0 441.73 करोड़ में से ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा रू० 284.25 करोड़ तथा नगरीय पेयजल योजनाओं हेतु नगर विकास विभाग द्वारा रू0 157.48 करोड़ का भुगतान पंचम राज्य वित्त आयोग की समनुदेशन की धनराशि से जल निगम (नगरीय / ग्रामीण) को किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

क्र0 सं0	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ में)
1	नगर निगमों हेतु	''-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -191नगर निगमों को सहायता- -03राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0301सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन''	405.00
2	नगर पालिकाओं /नगर पालिका परिषदों हेतु	''-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -192नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- -03राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0301सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन''	315.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3	नगर पंचायतों हेतु	''-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -193नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- -03राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0301सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन''	180.00
योग			900.00

के नामे डाला जायेगा।

4- उक्तानुसार अब माह मार्च, 2023 हेतु नागर स्थानीय निकायों के लिये सामान्य समनुदेशन हेतु रूपये 900.00 करोड़ (नौ सौ करोड मात्र) की स्वीकृत धनराशि को मिलकर चालू वित्तीय वर्ष मे स्वीकृत कुल धनराशि रूपये 10800.00 करोड़ (रूपये दस हजार आठ सौ करोड़ मात्र) हो जायेगी।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 9/2023/बी-2-293/दस-2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, पंचायतीराज विभाग।
3- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
8- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।